

डी.वी.बी. इम्प्लाइज टर्मिनल बेनिफिट फंड-2002

भारतीय स्टेट बैंक या ओरियंटल ऑफ कॉमर्स के माध्यम से
पेंशन प्राप्त करने का विकल्प

स्थान-पासपोर्ट साइज
फोटो जो बैंक मैनेजर
द्वारा प्रमाणित हो

सेवा में
सहायक वित्त अधिकारी (पेंशन)
दि० वि० बो० इ० ट० वे० फंड - 2002,
राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली
महोदय,

1. मैं की शाखा के माध्यम से से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प देता हूँ तथा मैं उन सभी नियमों तथा विनियमों जिनकी शर्त पर यह योजना प्रारम्भ की गई है का पालन करूंगा।
2. मैं एतद् द्वारा सहा० वित्त अधिकारी (पेंशन) को उपरोक्त बैंक शाखा को यह आदेश देने के लिए प्राधिकृत करता हूँ कि यदि मुझे दैनिक वास्तविक राशि से अधिक कोई राशि गलती से मेरे खाते में जमा कर दी गई हो अथवा भुगतान/क्रेडिट कर दी गई हो तो उस राशि की वसूली के लिए मेरे बैंक खाते में उस के बराबर राशि मेरे नाम (डेबिट) कर दी जाए।
3. मैं एतद् द्वारा उस अवधि, जिसके दौरान मैं बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करता हूँ। आप के कार्यालय को प्रति वर्ष अक्टूबर माह में निम्नलिखित सूचना भेजने का वचन देता हूँ :-

1. जीवन प्रमाण पत्र
2. बेरोजगारी/पुनः रोजगार प्रमाण-पत्र
3. पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र (पारिवारिक पेंशनरों के मामले में)

मैं यह भी भली प्रकार समझता हूँ कि यदि मैं पेंशन नियमों के अनुसार उपरोक्त प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करूंगा तो उसके पश्चात् मुझे बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्थान :

(नाम :

दिनांक :

(पेंशनर के हस्ताक्षर)

पी.पी.ओ. सं० :

1. साक्षी :

2. साक्षी :

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

नाम

पता

पता

दिनांक

दिनांक

(1) पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का व्यक्तिगत जीवनवृत्त :

1. पेंशन अदायगी आदेश सं०
2. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)
3. कर्मचारी सं०
4. पदनाम
5. अन्तिम विभाग/कार्यालय
6. पता
7. मृतक का नाम (पारिवारिक पेंशनर के मामले में)
8. मृतक से सम्बन्ध
9. जन्म तिथि

(2) बैंक का विवरण :

1. बैंक बचत खाता सं० (जो केवल पेंशन के लेन-देन के लिए पेंशनर के एकल नाम में हो)
2. बैंक का नाम
3. बैंक शाखा

(3) बैंक से प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है (उपरोक्त मद सं० (2) में उल्लिखित बैंक खाते का विवरण सही है। खाता संयुक्त खाता नहीं है। पेंशनर के नमूना हस्ताक्षर हमारे रिकार्ड में उपलब्ध हस्ताक्षरों के अनुसार है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन से इतर अन्य किसी राशि को इस खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री/कुमारी की अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुप्रमाणित एक फोटो उपरोक्त उपलब्ध स्थान पर चिपका दी गई है और इस फोटो का बैंक के रिकार्ड में दिए गए फोटो से मिलान कर लिया गया है।

स्थान :

दिनांक :

(बैंक की मोहर सहित प्रबन्धक/एजेन्ट के हस्ताक्षर)

टिप्पणी : भाग-1 तथा भाग-2 को पेंशनर द्वारा तथा भाग-3 को बैंक द्वारा भरा जाना है (खंड की मोहर लगाई जाए)